प्रस्ताव संख्या–26 दिनांक 03.01.2012

प्रस्ताव :– ऋणियों द्वारा किश्तों का भुगतान न करने पर उनके विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर करने पर अधिवक्ता को देय भुगतान के सम्बन्ध मे।

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को उपलब्ध करायें गये ऋण का पुर्नभुगतान नही होने एवं डिफाल्टर लाभार्थियों से ऋण वसूली हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है:–

1. लाभार्थियों के चैक अनादरण के मामले में अधिवक्ता के माध्यम से लिगल नोटिस दिये जाने हेतु रू0 100/– प्रति प्रकरण देय होंगें।
2. न्यायालयस में वाद दायर करने के लिए अधिवक्ता की फीस रू0 500/– तथा स्टेशनरी, टंकरन व स्टाम्प व्यय आदि के लिए रू0 250/– तक प्रति प्रकरण व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधिवक्ता की 50 प्रतिशत फीस तथा स्टेशनरी, टंकण व स्टाम्प पर व्यय केस दायर करते समय तथा शेष 50 प्रतिशत फीस निर्णय के पश्चात देय होगी।

प्रशासक

प्रस्ताव संख्या–28 दिनांक.....

जिला स्तर पर ऋण स्वीकृति हेतु वर्तमान नियम मे संशोधन कर जिलों की कमेटी द्वारा एक लाख के स्थान पर दो लाख तक ऋण स्वीकृत हेतु अधिकृत किया जाना

निगम की वार्षिक साख योजना वर्ष 2012–13 हेतु रू0 25 करोड की, बजट घोषणा वर्ष 2012–13 की पालना मे, तैयार कर सभी जिलो को जारी कर दी गई है। वार्षिक साख योजना वर्ष 2012–13 मे टर्म लोन हेतु एक लाख से अधिक राशि प्रति लाभार्थी का प्रावधान भी किया गया है।

वर्तमान नियम अनुसार (कार्यालय आदेश 1370 दिनाक 7.4.11 अनुसार) जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा एक लाख तक ऋण राशि जिला स्तर पर स्वीकृत की जाकर जिला कलैक्टर से अनुमोदन होता है। तथा कार्यालय आदेश 232 दिनांक 23–02–11 अनुसार जयपुर जिले हेतु एक लाख तक ऋण स्वीकृति के लिए कमेटी के आदेश प्रसाशित है।

वर्तमान मे निगम के कार्यभार में वृद्वि एवं ऋणियो को शीघ्र ऋण स्वीकृति की दृष्टि से, कार्य निष्पादन की सम्भावित गति वृद्धि को देखते हुए उक्त समितियों द्वारा ऋण स्वीकृत की वर्तमान सीमा एक लाख रू को बढाकर रू0 दो लाख तक ऋण स्वीकृतियॉ जारी किए जाने का निर्णय लिया जाता है।

प्रशासक

प्रस्ताव संख्या 30 **दिनांक 18.4.13**

माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा दिनांक 12.12.12 को 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. को राज्य सरकार की और से राज्य गारन्टी रू0 50 करोड से बढाकर रू0 100 करोड करने की घोषणा की है। इस घोषणा को लागू करने हेतु निगम राज्य गारन्टी रू0 50 करोड से बढाकर रू0 100 करोड करने का प्रस्ताव रखा जाता है।

निर्णयः–

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली से रूपये 100 करोड तक के ऋण प्राप्त किये जाने हेतु राज्य सरकार से रू0 100 करोड तक की गारन्टी प्राप्त की जाये।

प्रशासक

प्रबन्ध निदेशक

प्रस्ताव संख्या 31 **दिनांक 18.4.13**

माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा दिनांक 13.12.12 को 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. को राज्य सरकार की और से राज्य गारन्टी रू0 50 करोड से बढाकर रू0 100 करोड करने की घोषणा की है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आरएमएफडीसीसी, जयपुर से रू0 100 करोड की राज्य गारन्टी दिये जाने से काउन्टर गारन्टी मॉगी गई है। काउन्टर गारन्टी रू0 100 रूपये के नोन–ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर वित्त विभाग, राज्य सरकार को प्रस्तुत की जानी है।

निर्णयः–

प्रस्ताव संख्या 30 दिनांक 18.4.13 के निर्णय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली से ऋण राशि रू0 100 करोड तक प्राप्त किये जाने हेतु राज्य सरकार से रू0 100 करोड तक की सरकारी गारन्टी प्राप्त की जाये, के क्रम में राज्य सरकार को रू0 100 करोड की काउन्टर गारन्टी निगम द्वारा प्रस्तुत की जाये।

प्रशासक

प्रबन्ध निदेशक

प्रस्ताव संख्या 32 **दिनांक**

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली के सर्कुलर NMDFC/PROJS/SCHEME/2013-14 Dated 15th April, 2013 के तहत योजनाओ जैसे आवधिक ऋण, लघु वित्त पोषण योजना, शैक्षिक ऋण, व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना और विपणन योजना में किए गए संशोधित योजनाओं का क्रियान्वयन दिनांक 01.04.2013 से करने का आदेश प्राप्त हुआ है। उक्त सभी योजनाओं का राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा दिनांक 01.04.2013 से लागू करने का प्रस्ताव रखा जाता है।

निर्णयः–

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली के सर्कुलर NMDFC/PROJS/SCHEME/2013-14 Dated 15th April, 2013 के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन दिनांक 01.04.2013 से लागू किया जावें।

प्रबन्ध निदेशक प्रशासक

प्रस्ताव संख्या 33 **दिनांक**

निदेशक (N), अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के NOTIFICATION Dated. 24th May 2013 एवं NMDFC, New Delhi के पत्र क्रमांक NMDFC/PROJ/2013/639 Dated 31-05- 2013 के तहत NMDFC, New Delhi द्वारा प्रस्तावित योजनाओं हेतु वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 81000/– प्रतिवर्ष एवं शहरी क्षेत्र हेतु रू0 103000/– प्रतिवर्ष लागू करने का प्रस्ताव रखा जाता है।

निर्णयः–

अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के NOTIFICATION Dated. 24th May 2013 एवं NMDFC, New Delhi के पत्र क्रमांक NMDFC/PROJ/2013/639 Dated 31-05- 2013 के तहत NMDFC, New Delhi द्वारा प्रस्तावित योजनाओं हेतु वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 81000/– प्रतिवर्ष एवं शहरी क्षेत्र हेतु रू0 103000/– प्रतिवर्ष, दिनांक 01.04.2013 से लागू किया जावें।

प्रबन्ध निदेशक प्रशासक

प्रस्ताव संख्या –34 **दिनांक**

निगम स्टाफ सुदृढीकरण

मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के बाद अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम जयपुर का कार्य उत्तरोत्तर बढ रहा है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में 19.23 करोड का ऋण वितरण किया गया, राज्य सरकार को पूर्व में भेजे गये प्रस्ताव के अतिरिक्त एक पद उप महाप्रबन्धक (कारपोरेट मामलात), एक पद मुख्य विधि सहायक, एक पद सहायक सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी सहायक), दो पद संगणक एवं चार पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कुल 9 अतिरिक्त पदो की आवश्यकता है।

निर्णय

राज्य सरकार को एक पद उप महाप्रबन्धक (कारपोरेट मामलात), एक पद मुख्य विधि सहायक, एक पद सहायक सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी सहायक), दो पद संगणक एवं चार पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयों की मांग हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा जावें।

प्रबन्ध निदेशक प्रशासक

प्रस्ताव संख्या –35 **दिनांक**

राज्य सरकार की निवेशित राशि के अंश प्रमाण पत्र जारी कर भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–4 एवं सा.वि) विभाग का पत्र क्रमांक एफ 1(4)वित्त (व्यय–4 एवं सा.वि) 13–111 दिनांक 30.1.2013 के जरिये राज्य सरकार की निवेशित राशि के अंश प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया है।

निर्णय

राज्य सरकार द्वारा निवेशित राशि रू0 411 लाख के अंश प्रमाण पत्र जारी कर भिजवाये जावें।

प्रबन्ध निदेशक प्रशासक

प्रस्ताव सं0 36 **दिनांक**

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के समस्त जिला इकाइयों में निगम के कार्य को सुचारू पर से सम्पादित करने हेतु प्रत्येक जिले में कम्प्यूटर विशेषज्ञ एक कनिष्ठ लिपिक की आवश्यकता है।

निर्णय

राज्य सरकार को प्रत्येक जिले हेतु एक कम्प्यूटर विशेषज्ञ एक कनिष्ठ लिपिक की मांग हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा जावे।

प्रबन्ध निदेशक प्रशासक

प्रस्ताव संख्या 37 **दिनांक 28.10.13**

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग, वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के माध्यम से राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग में पिछडे वर्ग के आशार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. को राज्य सरकार की और से रू0 20 करोड की राज्य गारन्टी दी जानी है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आरएमएफडीसीसी, जयपुर से रू0 20 करोड की राज्य गारन्टी दिये जाने से काउन्टर गारन्टी मॉगी गई है। काउन्टर गारन्टी रू0 10 रूपये के नोन–ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर वित्त विभाग, राज्य सरकार को प्रस्तुत की जानी है।

निर्णयः–

प्रस्ताव संख्या 37 दिनांक 28.10.13 के निर्णय राष्ट्रीय पिछडा वर्ग, वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के माध्यम से ऋण राशि रू0 20 करोड तक प्राप्त किये जाने हेतु राज्य सरकार से रू0 20 करोड तक की सरकारी गारन्टी प्राप्त की जाये, के क्रम में राज्य सरकार को रू0 20 करोड की काउन्टर गारन्टी निगम द्वारा प्रस्तुत की जाये।

प्रशासक

प्रबन्ध निदेशक

प्रस्ताव संख्या 38 **दिनांक 28.10.13**

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा ऋण परामर्श शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 29000 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम जयपुर के पास इतना फण्ड नहीं है कि सभी को ऋण उपलब्ध करवाया जा सके ।इस बिन्दु को ध्यान में रखकर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 18/10/2011 को आहुत बैठक में निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे आवेदक जो OBC की श्रेणी में भी आते है,को ऋण उपलब्ध करवाने हेतु राष्ट्रीय पिछडा वर्ग, वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम जयपुर को राशि उपलब्ध करवायेगा जिसे राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा पात्र आवेदको को वितरित किया जायेगा एवं राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम जयपुर द्वारा समय–समय पर किश्तों का पुर्नभुगतान किया जायेगा।अतः अल्पसंख्यक वर्ग के ऋण से वंचित रहें लोगों को ऋण उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऋण वितरण करने के लिए राष्ट्रीय पिछडा वर्ग, वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली की अतिरिक्त स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी बनाया जाना प्रस्तावित है।

निर्णयः–

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम जयपुर को राष्ट्रीय पिछडा वर्ग, वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली की अतिरिक्त स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी बनाये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

प्रशासक

प्रबन्ध निदेशक

प्रस्ताव संख्या 39 **दिनांक 28.10.13**

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग, वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के माध्यम से राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग में पिछडे वर्ग के आशार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. को राज्य सरकार की अतिरिक्त स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी नियुक्त किया गया है। अतः इस हेतु 20 करोड रुपये की सम्भावित आवश्यकता है। इस हेतु वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आरएमएफडीसीसी, जयपुर को राज्य गारन्टी एवं काउन्टर गारन्टी के दस्तावेजो की आवश्यकता बतायी है। अतः वित्त विभाग को भेजी जाने वाली गारन्टी एवं काउन्टर गारन्टी के दस्तावेज भिजवाये जाना प्रस्तावित है।

निर्णयः–

वित्त विभाग राजस्थान सरकार को गारन्टी एवं काउन्टर गारन्टी के दस्तावेज भिजवाये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

प्रशासक

प्रबन्ध निदेशक

प्रस्ताव संख्या– 40 दिनांक 20.3.14

A. राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम में चल रही ऋण योजनाओं हेतु Software Developed करने पर विचार।

प्रबन्ध संचालक ने बताया कि निगम का गठन 19.4.2000 को हो चुका है एवं वर्ष 2002 से निगम द्वारा विधिवत कार्य शुरू कर दिया गया है। इस हेतु आरएमएफडीसीसी में चल रही ऋण व्यवस्था एवं वसूली का **Software** बनाने पर विचार–विमर्श किया गया। ऋण वितरण **Axis Bank** के सहयोग से **NIC** जयपुर द्वारा तैयार किये गये **Software** में वर्णित प्रक्रिया से ही, जिसमें ऋण वितरण एवं ऋण वसूली से सम्बन्धित समस्त जानकारियॉ उपलब्ध करवाने, इसमें होने वाली बकाया **(Due)** किस्त की सूचना एक सप्ताह पहले ऋणी को मोबाईल पर एस.एम.एस. द्वारा सूचित करने, वसूली जमा होने की सूचना एस.एम.एस. द्वारा प्राप्त करवाये जाने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया।

बैंक द्वारा सीधे **(Direct)** ऋणी के खाते में ऋण का भुगतान किया जावेगा। बैंक द्वारा इसकी सूचना जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय व निगम मुख्यालय को दी जायेगी, इसके आधार पर मुख्यालय में उसकी एन्ट्री **Software** में की जायेगी। बैंक द्वारा प्राप्त सूचना को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ऋणी का खाता खोलकर उसमें आवश्यक प्रविष्टिया कर नियमानुसार वसूली की कार्यवाही कर मुख्यालय को सूचित करेंगें।

निर्णयः–

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम में चल रही ऋण योजनाओं में ऋण वितरण हेतु तैयार **Software** का प्रयोग किया जायेगा।

B. ऋण वसूली का Software बनाने हेतु।

ऋण खातों के निस्तारण तथा रिकवरी की पूर्व सूचना हेतु आरएमएफडीसीसी में **Tally Accountancy Software** को लागू किया जायेगा। इस **Software** में समस्त पूर्व एवं वर्तमान लाभार्थियों का खाता पृथक–पृथक तैया किया जावेगा, जिसमें ऋण अदायगी, संधारण, ब्याज दर, पैनल ब्याज दर सभी ऋण दर्ज किये जावें।

Tally Accountancy Software को सफलतापूर्वक लागू करने से अन्य सभी **Accountancy** व **Balance-Sheet** सम्बन्धि पुराने बकाया मिलान कार्य किया जा सकेगा। निगम मुख्यालय पर ऋणियों का मास्टर डाटा संधारित किया जावेगा। प्रबन्ध निदेशक को वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 कि वैधानिक एवं आन्तरिक ऑडिट एवं टैली अकाउन्टिंग कार्य के लिए चार्टेड अकाउन्टेन्ट (C.A.) की सेवाये लेने के लिए अधिकृत किया जाता है। इस हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आवश्यक सूचनाऐं तथा रिकार्ड आदिनांक तक वितरित किये गये, वसूल किये गये एवं बकाया ऋण की स्थिति सलंग्न प्रपत्र में भरकर आरएमएफडीसीसी, जयपुर को भिजवाये जावेंगें।

निर्णयः–

प्रस्ताव में वर्णित कार्यवाही की जावें।

C. **रू0 2 लाख से ऊपर ऋण के सन्दर्भ में प्रक्रिया तथा सुदीप डेन्टल एण्ड किडस क्लिनिक जयपुर में कर्मचारियों को ईलाज की सुविधा बाबत।**

1. आरएमएफडीसीसी के प्रस्ताव संख्या 17 का प्रस्ताव क्रम 2 दिनांक 10.1.2011 में रू0 2 लाख से ऊपर की ऋण राशि के आवेदन पत्रों की जॉच बिन्दु संख्या 8 में दी गई चैक लिस्ट के अनुसार जॉच कर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ भिजवाये जाने का प्रावधान है परन्तु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बिना आवेदन पत्रों की जॉच किये, सीधे ही मुख्यालय को ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु भेज देते है। अतः यह प्रस्ताव लिया जाता है कि ऋण आवेदन पत्रों को जिला स्तरीय ऋण समिति अपनी अनुशंसा के साथ निगम मुख्यालय को भिजवायें। इसके पश्चात निगम स्तर पर इस हेतु गठित समिति की अनुशंसा के पश्चात ऋण स्वीकृत किया जावे ।

2. निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं इनके आश्रितों को Sudeep's Dental & Kids Clinic में ईलाज कराने की सुविधा देने का प्रस्ताव पर विचार।

निर्णयः–

1. रू0 2 लाख से ऊपर के ऋण आवेदन पत्रों हेतु उक्त प्रक्रिया बाबत ऋण स्वीकृति अपनाई जावें।
2. सुदीप डेन्टल एवं किडस क्लीनिक जयपुर को आरएमएफडीसीसी के कर्मचारियों एवं आश्रितोको सम्पूर्ण ईलाज के पुर्नभरण की अनुमति प्रदान की जाती है।

D. **ऋण वसूली हेतु PDCS (Post Dated Cheques)।**

वसूली हेतु प्राप्त PDCS (Post Dated Cheques) प्रतिमाह जिलों द्वारा सम्बन्धित बैंको में भिजवाये जायेंगें, जिसका बैंक द्वारा चैक honourr & dishonour report तैयार कर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारीयों को दी जायेंगी। Honoured cheques की report cross checking हेतु पुनः मुख्यालय को प्रस्तुत की जाकर उसकी entry की जायेगी। Dishonoured cheques के सम्बन्ध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी। इस कार्यवाही से पूर्व ऋणी को प्रथम बार Yellow Notice दूसरी बार Red Notice तथा अन्त में वकील के माध्यम से Legal Notice जारी करके वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। अतः इस सम्पूर्ण कार्य के लिए आवश्यकता होने पर वकील को नियुक्त किया जावेगा।

निर्णयः– प्रस्ताव में वर्णित कार्यवाही की जावे।

प्रबन्ध निदेशक

प्रशासक

प्रस्ताव संख्या–41 दिनांक 07.11.14

प्रस्ताव :– ऋणियों द्वारा किश्तों का भुगतान न करने पर उनके विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर करने पर अधिवक्ता को देय भुगतान के क्रम में प्रस्ताव संख्या 26 दिनांक 3.1.12 में आंशिक संशोधन करने के सम्बन्ध में।

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को उपलब्ध करायें गये ऋण का पुर्नभुगतान नही होने एवं डिफाल्टर लाभार्थियों से ऋण वसूली हेतु अधिवक्ता को देय भुगतान के क्रम में प्रस्ताव संख्या 26 दिनांक 3.1.12 में निम्न आंशिक संशोधन किया जाता हैः–

1. लाभार्थियों के चैक अनादरण के मामले में अधिवक्ता के माध्यम से लिगल नोटिस दिये जाने हेतु रू0 150/– प्रति प्रकरण देय होंगें।
2. न्यायालयस में वाद दायर करने के लिए अधिवक्ता की फीस रू0 500/– तथा स्टेशनरी, टंकरन व स्टाम्प व्यय आदि के लिए रू0 300/– तक प्रति प्रकरण व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधिवक्ता की 50 प्रतिशत फीस तथा स्टेशनरी, टंकण व स्टाम्प पर व्यय केस दायर करते समय तथा शेष 50 प्रतिशत फीस निर्णय के पश्चात देय होगी।

प्रबन्ध निदेशक प्रशासक

प्रस्ताव संख्या–45 दिनांक

NMDFC, New Delhi की नवीन गाईड लाईन के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति का पुनर्गठन

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली की नवीन गाईड लाईन के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत करने हेतु जिला स्तरीय चयन समिति का पुनर्गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार (प्रस्ताव संख्या – 17) किये जाने के उपरान्त राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा जा रहा है।

1. जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधी – अध्यक्ष।
2. जिले के लीड बैंक का प्रतिनिधि – सदस्य।
3. जिला उद्योग केन्द्र का प्रतिनिधि – सदस्य।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी – सदस्य सचिव।

जिला स्तरीय चयन समिति Banks, NABARD, SIDBI, RBI प्रधानमन्त्री रोजगार योजना (PMRY), जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) की गाईड लाईन के अनुसार ऋण स्वीकृत करेगी।

जिला स्तरीय चयन समिति के परीक्षण एवं उसकी सिफारिश पर राशि रू0 400000/– (राशि रू0 चार लाख मात्र) तक ऋणों के स्वीकृति आदेश जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगें। राशि रू0 400000/– से अधिक के ऋण के लिये जिला स्तर पर ऋण के आवेदन प्राप्त किये जायेंगे तथा इसका परीक्षण जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाकर अपनी अनुशंषा के साथ निगम मुख्यालय को भिजवाये जायेंगे।

निर्णय

राजस्थानर अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर में जिला स्तरीय समिति के उक्त प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही की जाये।

प्रबन्ध निदेशक प्रशासक

प्रस्ताव संख्या–46 दिनांक

NMDFC, New Delhi की नवीन गाईड लाईन के अनुसार प्रार्थी से ली जाने वाली गारन्टी नियम में संशोधन।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के " Lending Policy of NMDFC June 2015 की नवीन गाईड लाईन के अनुसार लाभार्थियों से ली जाने वाली ऋण सुरक्षा के लिये गारन्टी नियम में निम्न प्रकार संशोधन (प्रस्ताव संख्या – 16) किये जाने के उपरान्त राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा जा रहा है।

a)	राशि रू0 100000/– तक के ऋण हेतु	स्वयं की गारन्टी एवं पोस्ट डेटेड चैक
b)	राशि रू0 100000/– से अधिक एवं राशि 500000/– तक ऋण हेतु	एक सरकारी कर्मचारी (PSU/Govt/Bank)या एक आयकरदाता/निर्वाचित जन प्रतिनिधि और पोस्ट डेटेड चैक्स
c)	राशि रू0 500000/– से अधिक ऋण हेतु	दो सरकारी कर्मचारी (PSU/Govt/Bank) या दो आयकरदाता/निर्वाचित जन प्रतिनिधि और पोस्ट डेटेड चैक्स या ऋण के बाराबर मूल्य की अचल सम्पति गिरवी रखने के दस्तावेज एवं पोस्ट डेटेड चैक्स

निर्णय

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर में गारन्टी नियमों के उक्त प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही की जाये।

प्रबन्ध निदेशक प्रशासक

प्रस्ताव संख्या–47 **दिनांक**

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर में महाप्रबन्धक का पद समाप्त हो जाने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को वितरित किये जाने वाले रू0 4 लाख से ऊपर वाले ऋण स्वीकृत करने हेतु राज्य स्तरीय चयन समिति का पुनर्गठन सहायक लेखाधिकारी (प्रथम) की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठन किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा जा रहा हैः–

1. सहायक लेखाधिकारी (प्रथम) – अध्यक्ष।
2. प्रभारी नाबार्ड बैंक या उसका प्रतिनिधि – सदस्य।
3. स्टेट लेवल बैंकर्स समिति द्वारा नामित अधिकारी – सदस्य।
4. जिला उद्योग केन्द्र का प्रभारी/उसके द्वारा नामित अधिकारी – सदस्य।
5. सहायक लेखाधिकारी (द्वितीय) सदस्य सचिव।

निर्णय

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर में राज्य स्तरीय समिति के उक्त प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही की जाये।

प्रबन्ध निदेशक प्रशासक

प्रस्ताव संख्या 54 **दिनांक**

अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने एवं शैक्षिक योग्यता बढ़ाने हेतु ऋण सुविधा मिल सके। इस हेतु वर्तमान में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर को राज्य सरकार की ओर से राज्य गारन्टी रू0 115 करोड की दी हुई है। इसे बढाकर राज्य सरकार की ओर से राज्य गारन्टी रू0 140 करोड करने की है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आरएमएफडीसीसी, जयपुर से रू0 140 करोड की राज्य गारन्टी दिये जाने से काउन्टर गारन्टी मांगी गई है। काउन्टर गारन्टी 500 रूपये के नोन–ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर वित्त विभाग, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा जा रहा है।

निर्णयः–

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली से रूपये 140 करोड तक के ऋण प्राप्त किये जाने हेतु राज्य सरकार से रू0 140 करोड तक की सरकारी गारन्टी प्राप्त की जाये।

प्रबन्ध निदेशक **प्रशासक**

प्रस्ताव संख्या–53 दिनांक

ऋण स्वीकृति की शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of Loan Sanction Powers)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली द्वारा राशि 6 लाख रूपये की आय सीमा वाले व्यक्तियों को भी ऋण उपलब्ध कराने तथा ऋण की राशि भी 20 लाख के स्थान पर 30 लाख रूपये तक के ऋण राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सी स्तर से स्वीकृति वितरित कराने के नवीन निर्देश जारी किये गये है। जिससे ऋणियों की संख्या एवं ऋण की राशि बढने की पूर्ण सम्भावना है। अतः ऋणियों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से ऋण स्वीकृत की वर्तमान सीमा को निम्नानुसार बढाये जाने हेतु प्रस्ताव रखा जा रहा है।

1. जिला स्तर पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा
   (प्रस्ताव संख्या 44) – 4 लाख रू0 तक
2. मुख्यालय पर गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा पर प्रबन्ध निदेशक स्तर से
   – 4–5 लाख रू0 तक
3. मुख्यालय पर गठित राज्य स्तरीय समिति
   की अनुशंसा पर मण्डल से अनुमोदन – 5.00 लाख रू0 से अधिक के प्रकरण

निर्णय

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर में राज्य स्तरीय समिति के उक्त प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही की जाये।

प्रबन्ध निदेशक प्रशासक

प्रस्ताव संख्या–49 **दिनांक**

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर में महाप्रबन्धक का पद समाप्त हो जाने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को वितरित किये जाने वाले रू0 4 लाख से ऊपर वाले ऋण स्वीकृत करने हेतु राज्य स्तरीय चयन समिति का पुनर्गठन प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठन किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा जा रहा हैः–

1. प्रबन्ध निदेशक / महाप्रबन्धक – अध्यक्ष।
2. उद्योग विभाग के प्रतिनिधि – सदस्य।
3. राज्य बैंकर्स समिति के प्रतिनिध – सदस्य।
4. RMFDCC जयपुर में कार्यरत लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी (प्रथम) – सदस्य।
5. निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग से एक अधिकारी जो सहायक लेखाधिकारी (प्रथम) के स्तर से कम का न हो – सदस्य
6. RMFDCC जयपुर में कार्यरत सहायक प्रबन्धक, सहकारिता – सदस्य सचिव।

निर्णय

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर के उक्त प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही की जाये।

प्रबन्ध निदेशक प्रशासक

प्रस्ताव संख्या **दिनांक**

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर में महाप्रबन्धक का पद समाप्त हो जाने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को वितरित किये जाने वाले रू0 4 लाख से ऊपर वाले ऋण स्वीकृत करने हेतु राज्य स्तरीय चयन समिति का पुनर्गठन प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठन किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा जा रहा हैः–

1. प्रबन्ध निदेशक – अध्यक्ष।
2. उद्योग विभाग के प्रतिनिधि – सदस्य।
3. राज्य बैंकर्स समिति के प्रतिनिध – सदस्य।
4. RMFDCC जयपुर में कार्यरत लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (प्रथम) – सदस्य।
5. निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग से एक अधिकारी जो सहायक लेखाधिकारी (प्रथम) के स्तर से कम का न हो – सदस्य
6. RMFDCC जयपुर में कार्यरत सहायक प्रबन्धक, सहकारिता – सदस्य सचिव।

निर्णय

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर के उक्त प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही की जाये।

प्रबन्ध निदेशक प्रशासक